न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 125 / 2023

1 मालती देवी पत्नी मदनलाल सोनी उम्र 72 साल
2 शिम्भुदयाल सोनी पुत्र श्री मदनलाल सोनी उम्र 49 साल
3 विजेन्द्र सोनी पुत्र श्री मदनलाल सोनी उम्र 40 साल
4 धर्मेन्द्र सोनी पुत्र श्री मदनलाल सोनी उम्र 30 साल
5 छीतरमल सोनी पुत्र स्व. श्री प्रभाती लाल सोनी उम्र 26 साल
समस्त जाति सुनार (सोनी) निवासीगण ग्राम टोडा तहसील व जिला नीमकाथाना राज.।

अपीलांटस

बनाम

1 मनोहर सोनी पुत्र श्री हनुमान सोनी
2 किरण सोनी पुत्र हनुमान सोनी
3 लक्ष्मण राम सोनी पुत्र श्री हनुमान सोनी
समस्त जाति सुनार (सोनी) निवासीगण ग्राम टोडा तहसील व जिला नीमकाथाना राज.।
4 विनोद सोनी पुत्र श्री प्रभुदयाल सोनी
5 जितेन्द्र सोनी पुत्र श्री मदनलाल सोनी
निवासीगण ग्राम टोडा तहसील व जिला नीमकाथाना राज. हाल रामगढ़ तहसील व जिला कोटपूतली राज.।
6 भूमिधारी तहसीलदार नीमकाथाना जिला नीमकाथाना राज.।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध आज्ञा आदेश दिनांक 18.08.2023
न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) नीमकाथाना
जिला नीमकाथाना बउनवानी प्रकरण मालती देवी आदि
बनाम मनोहरी सोनी आदि मुकदमा नम्बर 15/2021

उपस्थिति :

1. श्री रफीक मो. कुरेशी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री उज्जवल खोखर, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री राजेश शर्मा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 8/8/25

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर फा.ट्रे. नीमकाथाना द्वारा मुकदमा नम्बर 15/2021 में पारित निर्णय दिनांक 18.08.2023 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थीगण अपीलान्ट ने एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 1802, 1803, 1804, 925, 926 वाके ग्राम टोडा का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने इस तथ्य पर कतई गोर नही किया कि वादग्रस्त भूमियों का विभाजन गांव के मौजिज व्यक्तियों व प्रहलाद पटवारी मिति चैत्र बुदी 9 संवत 2036 गवाह रामुशर्मा, सुगन लाल महाजन, मदनलाल पटवारी द्वारा किये गये विभाजन प्रलेख विचारण न्यायालय ने बिना अवलोकन किये ही विचाराधीन निर्णय पारित किया है। विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध गिरदावरी संवत 2013 से पेश की गई जिसमें

अपीलान्ट/प्रार्थीगण के पूर्वजों का स्पष्ट रूप से अंकन होने का गौर नही कर भारी कानूनी भूल की है। विचारण न्यायालय ने आवेदन अस्थायी निषेधाज्ञा का निस्तारण करने से पूर्व तीनों ही बिन्दूओं जैसे प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति पर गौर नहीं करके भारी कानूनी भुल की है। विचारण न्यायालय ने कब्जे एवं दस्तावेजी साक्ष्य का अध्ययन नही कर तथा ना ही तहसीलदार द्वारा उक्त भूमि का भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट प्राप्त की, न ही रिकार्ड प्राप्त किये बिना ही आदेश पारित करके भी भारी कानूनी भूल की है जिससे विचाराधीन निर्णय दिनांक 18.08.2023 निरस्त किये जाने योग्य है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि प्रस्तुत जमाबंदी से विवादित भूमि की खातेदारी पूर्व में अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 के पिता एवं वर्तमान में अप्रार्थीगण के नाम से दर्ज है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत लिखावट जो अपंजीकृत, सादा कागज पर न्यायालय के बाहर लिखा गया दस्तावेज है। फिर भी उक्त लिखावट के आधार पर यदि प्रार्थीगण को किसी प्रकार की सहायता प्राप्त होनी है तो यह साक्ष्य सुनवाई के उपरांत मूलवाद में होना शेष है। प्रस्तुत प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा के आवेदन के निस्तारण के लिए प्रथम दृष्टया मामला देखने के लिए दावा दायरी के समय कब्जा देखना आवश्यक होता है। प्रस्तुत समस्त दस्तावेज से यह प्रकट होता है कि विवादित आराजी पर प्रार्थीगण का कोई कब्जा काश्त नहीं है एव ना ही वह प्रमाणित कर पाये है तथा वर्तमान में बतौर काश्तकार रिकार्डेड खातेदार अप्रार्थीगण है। अप्रार्थीगण वर्तमान में विवादित आराजी के रिकार्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है तथा खातेदारी भूमि का उपयोग उपभोग करने के लिए स्वतंत्र है। प्रार्थीगण काबिज खातेदार काश्तकार नहीं है। अप्रार्थीगण काबिज खातेदार काश्तकार है भूमि उनके आधिपत्य में है। इस प्रकार प्रार्थीगण के बजाए अप्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होने की अधिक संभावना है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के

बिन्दु को विवेचित कर प्रार्थी अपीलान्ट का आवेदन खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थीगण अपीलान्ट ने एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 1802, 1803, 1804, 925, 926 वाके ग्राम टोडा का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।

प्रकरण में प्रस्तुत जमाबंदी से विवादित भूमि की खातेदारी पूर्व में अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 के पिता एवं वर्तमान में अप्रार्थीगण के नाम से दर्ज है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत लिखावट जो अपंजीकृत, सादा कागज पर न्यायालय के बाहर लिखा गया दस्तावेज है। फिर भी उक्त लिखावट के आधार पर यदि प्रार्थीगण को किसी प्रकार की सहायता प्राप्त होनी है तो यह साक्ष्य सुनवाई के उपरांत मूलवाद में होना शेष है।

प्रस्तुत प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा के आवेदन के निस्तारण के लिए प्रथम दृष्टया मामला देखने के लिए दावा दायरी के समय कब्जा देखना आवश्यक होता है। प्रस्तुत समस्त दस्तावेज से यह प्रकट होता है कि विवादित आराजी पर प्रार्थीगण का कोई कब्जा काश्त नहीं है एव ना ही वह प्रमाणित कर पाये है तथा वर्तमान में बतौर काश्तकार रिकार्डेड खातेदार अप्रार्थीगण है। अप्रार्थीगण वर्तमान में विवादित आराजी के रिकार्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है तथा खातेदारी भूमि का उपयोग उपभोग करने के लिए स्वतंत्र है।

प्रार्थीगण काबिज खातेदार काश्तकार नहीं है। अप्रार्थीगण काबिज खातेदार काश्तकार है भूमि उनके आधिपत्य में है। इस प्रकार प्रार्थीगण के बजाए अप्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होने की अधिक संभावना है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु को विवेचित कर प्रार्थी अपीलान्ट का आवेदन खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है।

विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 8/8/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर